

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाईल सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्सूम-II

दिनांक : 29 मई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : निर्वाचनों की घोषणा के पश्चात नीतिपरक मतदान प्रचार अभियान के लिए बूथ स्तरीय जागरूकता समूह (बी ए जी) की तैनाती-तत्संबंधी मामला।

महोदय/महोदया,

आयोग ने वर्तमान में गठित ग्राम/वार्ड स्तरीय जागरूकता समूहों (वी ए जी/डब्ल्यू ए जी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है तथा यह निर्णय लिया है कि वी ए जी/ डब्ल्यू ए जी की उक्त प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा तथा इसके स्थान पर इस उद्देश्य के लिए एकीकृत बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों (बी ए जी) का गठन किया जाएगा। अनुदेश सं. 76/अनुदेश/2014/ईईपीएस/वाल्सूम-IV, दिनांक 7 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, मुझे निम्नलिखित के संबंध में सूचित करने का निदेश हुआ है :-

1. आयोग के दिनांक 27.02.2015 के पत्र सं. 23/1/2015/ई आर एस के संदर्भ में बी एल ओ द्वारा बूथ स्तरीय जागरूकता समूह (बी ए जी) का गठन बूथ स्तरीय सरकारी अधिकारियों, पैरा वर्कर्स, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, बी एल ए, बी एल बी, स्थानीय निकाय के प्रमुख या प्रतिनिधि, बी एल ए, बी एल वी, बूथ क्षेत्र में स्कूल/कॉलजों के प्रमुख या प्रतिनिधियों, एन एस एस/एन वाई के के स्वयं सेवकों तथा स्थानीय सी एस ओ/एन जी ओ के सदस्य प्रतिनिधियों को शामिल करके यह सुनिश्चित करते हुए किया जाना है कि बूथ लेवल एजेंटों के अतिरिक्त कोई सदस्य किसी राजनैतिक दल से संबंधित न हो।
2. नरपैप (एन ई आर पी ए पी) के संबंध में बूथ की निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन तथा प्रमाणीकरण में उनकी भूमिका के अतिरिक्त, मुझे यह भी उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन की घोषणा के पश्चात बी ए जी निम्नलिखित रूप में कार्य करेगा :-

(क) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रलोभन जैसे नकदी, उपहार, मदिरा या प्रचार अभियान के उद्देश्य से आयोजित सामुदायिक भोज से दूर रहने के लिए मतदाताओं के मध्य नीतिपरक मतदान का संदेश फैलाना, क्योंकि प्राप्तकर्ता भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख के अधीन एक वर्ष के कारावास के दण्ड का भागीदार है।

(ख) निर्वाचनों के दौरान अपने संबंधित क्षेत्रों में रिश्वत के बुरे प्रभावों के विरुद्ध 'नुक्कड़' सभाओं/रैलियों/सामूहिक विचार-विमर्श को आयोजित करना तथा सेक्टर अधिकारी ऐसी बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं।

(ग) नीतिपरक मतदान का संदेश प्रसारित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, एन एस एस या एन सी सी कैडेटों, सिविल सोसाइटी संगठनों को जोड़ना।

(घ) रिश्वत के विरुद्ध विज्ञापनों/पोस्टरों/बैनरों को लोकप्रिय बनाना।

(ड.) आयोग द्वारा तैयार किए गए मोबाइल सॉफ्टवेयर द्वारा या अन्यथा कदाचारों के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, समूह के किसी सदस्य या किसी नागरिक को कदाचारों के ऐसे फोटो, वीडियो, ऑडियो बनाने तथा इसे जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट तथा कंट्रोल रूम में अपलोड करने के लिए प्रशिक्षित करना या किसी अन्य साधनों के माध्यम से गोपनीयतापूर्वक प्राधिकारियों को सूचित करना। यह समूह प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कदाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा तथा यह जिला शिकायत मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ में सूचित करेगा तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एण्ड यूजर्स अपलोड करेगा।

3. इसके अतिरिक्त, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि -

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी पहले से ही बी ए जी के साथ मिलकर नीतिपरक मतदान प्रचार अभियान के लिए एक जिला स्तरीय योजना तैयार करेगा ताकि जनता निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान रिश्वत लेने के दण्डात्मक परिणामों से अवगत हो सके।

(ख) जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग की वेबसाइट से मोबाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की व्यवस्था करेंगे तथा सभी बी ए जी को फोटो/ऑडियो/वीडियो, जहां कहीं भी प्रयोज्य हो, अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। शिकायत मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ तथा उड़न दस्तों को बी ए जी के संपर्क नम्बर दिए जाएंगे ताकि उनकी शिकायतों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई की जा सके।

(ग) जिला निर्वाचन अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने के लिए तथा ऐसी शिकायतों के प्रति तत्काल कार्रवाई करने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करेंगे। बी ए जी द्वारा किसी भी सूचना दिए जाने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उइन दस्ता यथा संभव कम से कम समय में उस स्थान पर पहुंच जाए एवं आवश्यक कार्रवाई करें तथा तत्संबंधी साक्ष्य एकत्रित करें। की गई कार्रवाई के बारे में बी ए जी को सूचित किया जाएगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जिला निर्वाचन अधिकारी शिकायतों को अपलोड करने की सुविधा तथा जनता के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर का भी व्यापक प्रचार करेंगे।


(ङ.) बी ए जी द्वारा दी गई कोई भी सूचना शिकायत रजिस्टर में "बी ए जी" के रूप में चिह्नित की जाएगी तथा व्यय प्रेक्षक ऐसी शिकायतों पर दलों द्वारा की गई कार्रवाई की भी जांच करेंगे। जिला शिकायत मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ को सूचना/शिकायत करने वाले बी ए जी सदस्यों की पहचान उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुप्त रखी जाएगी।

(च) जिला निर्वाचन अधिकारी नीतिपरक मतदान पर विज्ञापन सामग्रियों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बी ए जी को सौंपेंगे तथा उनमें विश्वास जगाने तथा उन्हें जागरूक करने के लिए सदस्यों से सम्पर्क भी करेंगे।

(छ) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जागरूकता प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक तथा व्यय प्रेक्षक को उनके आगमन पर बी ए जी की सूची तथा सम्पर्क संख्या दी जानी चाहिए ताकि क्षेत्र में उनके दौरे के दौरान, वे ऐसे दल के सदस्यों को, जागरूकता फैलाने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दे सकें।

(ज) जिला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर यह जांच करेंगे कि वेबसाइट पर अपलोड की गई फोटो/वीडियो/ऑडियो पर शिकायत मानीटरिंग प्रकोष्ठ तथा उइन दस्तों के द्वारा शीघ्र कार्रवाई की गई है।

4. इसे सभी प्रेक्षकों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस प्रभारी अधिकारियों तथा बी ए जी सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(एस के रूडोला)
सचिव